

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 मार्च 2020—चैत्र 3, शक 1942

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2020 (चैत्र 3, 1942)

क्र. 491३-म.प्र.वि.स.-15-विधान-2020.—मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 13 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना एतद्वारा प्रकाशित की जाती है:—

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिये जाने के फलस्वरूप वे उक्त तिथि से मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.